निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश।

पत्रांक C-417/स0क0/ए0टी0एस0/ अंशकालिक शिक्षक–भर्ती/2025–26 जून
लखनऊः दिनांकः 03 मई, 2025

समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

विषयः–समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयो में अंशकालिक शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या 3930/स0क0/ए0टी0एस0/2024–25 दिनांक 06.03.2025 द्वारा जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयो में अंशकालिक शिक्षकों को प्रति कालखण्ड में मानदेय के आधार पर रखे जाने का अनुरोध किया गया था।

तत्क्रम में शासन के पत्र संख्या 378/26–4–2025 दिनांक 21.03.2025 द्वारा जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में अंशकालिक शिक्षकों को प्रति कालखण्ड में मानदेय के आधार पर रखे जाने के संबंध में अनुमति प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निदेशालय स्तर से विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है, जिसमें आनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 06–06–2025 तथा अन्तिम तिथि 16–06–2025 निर्धारित है तथा आपकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विद्यालयों में रिक्त शिक्षकों के पदों को भरे जाने की कार्यवाही जनपदवार की जानी है।

अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में अंशकालिक शिक्षक भर्ती की कार्यवाही निर्धारित समय सारिणी के अन्तर्गत पूर्ण कर सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त।

(कुमार प्रशान्त)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग–4
2– समस्त सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
3– प्रधानाचार्य/प्रभारी प्रधानाचार्य, जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, उ0प्र0।

(जे0 राम)
उप निदेशक,
मुख्यालय।

2–अंशकालिक / आंशिक सहायक अध्यापक एल०टी०ग्रेड की शैक्षिक अर्हताएं

क्र०सं०	पद का नाम	शैक्षिक अर्हताएं
2	सहायक अध्यापक एल०टी०ग्रेड	1–भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ सम्बन्धित विषय में स्नातक उपाधि। 2–भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र (बी०एड० उपाधि) में स्नातक उपाधि। 3–उच्च प्राथमिक स्तर की टी०ई०टी० / सी०टी०ई०टी० की अर्हता। 4–अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में शिक्षण में दक्षता।
2.1	हिन्दी	डिग्री पाठ्यक्रम के सभी तीन वर्षों में हिन्दी एक विषय के रूप में।
2.2	अंग्रेजी	डिग्री पाठ्यक्रम के सभी तीन वर्षों में अंग्रेजी एक विषय के रूप में।
2.3	गणित	(1) भौतिकी के साथ गणित में स्नातक डिग्री और निम्नलिखित विषयों में से कोई एक रसायन विज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर विज्ञान, सांख्यिकी। (2) ऐसे विश्वविद्यालयों के मामले में जो स्नातक के अंतिम वर्ष में ऊपर उल्लिखित छः में से केवल दो विषयों के लिए प्रदान करते है, उम्मीदवार को परीक्षा के अंतिम वर्ष मे गणित और भौतिकी का अध्ययन करना चाहिए और स्नातक के पहले और दूसरे वर्ष में तीन विषयों, अर्थात् गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान/इलेक्ट्रानिक्स / कम्प्यूटर विज्ञान / सांख्यिकी का अध्ययन करना चाहिए। (3) जिन अभ्यर्थियों ने बी०एस०सी० डिग्री गणित विषय में ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण की है, केवल तभी पात्र माने जायेंगे यदि उन्होंने पाठ्यक्रम के पहले और दूसरे वर्ष में भौतिकी और रसायन / इलेक्ट्रानिक्स/कम्प्यूटर विज्ञान / सांख्यिकी का अध्ययन किया हो। बी०एस०सी० (ऑनर्स) भौतिकी या रसायन विज्ञान के उम्मीदवार टी०जी०टी० (गणित) पद के लिए पात्र नहीं है।
2.4	विज्ञान	**वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान और रसायन विज्ञान।** (1) उम्मीदार को स्नातक स्तर की पढाई के सभी तीन वर्षों के दौरान वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान और रसायन विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। (2) उम्मीदार ऐसे विश्वविद्यालयों के मामले में जो स्नातक के अंतिम वर्ष मे केवल दो विषयों की व्यवस्था करते हैं, उम्मीदवारों को परीक्षा के अंतिम वर्ष में वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, रसायन विज्ञान में से दो विषयों में से किसी एक का अध्ययन करना चाहिए और सभी तीन विषयों अर्थात अर्थात वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान एवं रसायन विज्ञान का स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में भी अध्ययन करना चाहिए। (3) ऑनर्स डिग्री के मामले में, उम्मीदवार ने पाठ्यक्रम के पहले और दूसरे वर्ष में उपर्युक्त तीन विषयों में से किसी दो विषयों का अध्ययन किया होगा।
2.5	सामाजिक विज्ञान	उम्मीदवार को स्नातक स्तर पर निम्नलिखित संयोजनों में से किसी दो विषयों का अध्ययन करना चाहिए – (क) इतिहास के साथ भूगोल/अर्थशास्त्र/राजनीति विज्ञान या (ख) भूगोल के साथ इतिहास/अर्थशास्त्र/राजनीति विज्ञान (दूसरे शब्दों में उम्मीदवारों को इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में से किसी दो विषयों का अध्ययन करना चाहिए, जिसमें से एक इतिहास या भूगोल होना चाहिए। (ii) उपरोक्तानुसार इतिहास/भूगोल, स्नातक में तीनों वर्षों के लिए अध्ययन किया जाना चाहिए। (iii) इतिहास में ऑनर्स डिग्री के मामले में उम्मीदवार को पहले और दूसरे वर्ष में भूगोल /अर्थशास्त्र/राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। इसी प्रकार भूगोल में ऑनर्स डिग्री के मामले में उम्मीदवार को पहले और दूसरे वर्ष में इतिहास/अर्थशास्त्र/राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। अर्थशास्त्र या राजनीति विज्ञान में बी०ए० (ऑनर्स) वाले उम्मीदवार टी. जी.टी. के पद के लिए पात्र नहीं हैं।
	<u>सहायक अध्यापक (एल०टी०ग्रेड) पद हेतु</u>	➢ प्रत्येक विद्यालय में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिन्दी, सामाजिक विज्ञान, व्यायाम शिक्षकों को इम्पैनलमेंट अवश्य किया जाये।

क्र0सं0	पद का नाम	शैक्षिक अर्हताएं
1	व्यायाम शिक्षक	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से शारीरिक शिक्षा में डिग्री (बी0पी0एड0) अथवा डिप्लोमा (डी0पी0एड0)

2.3– आयु– संबंधित अतिथि प्रवक्ता/सहायक अध्यापक न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 60 वर्ष (सेवानिवृत्त प्रवक्ताओं/सहायक अध्यापकों हेतु 68 वर्ष) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3–**चयन प्रक्रिया**–सेवानिवृत्त अध्यापक जो राज्य सरकार के विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय/नवोदय विद्यालय में यू0पी0 बोर्ड/सी0बी0एस0ई0 बोर्ड मे अध्यापन कार्य किये हो, उनको संबंधित विषय के लिए अतिथि प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के रूप में रखा जा सकता है। ऐसे रखे जाने वाले अध्यापक शारीरिक तथा मानसिक रूप से अध्यापन कार्य करने में सक्षम हो तथा आवासीय विद्यालयों में कार्य करने हेतु इच्छुक हो, वरीयता प्रदान की जायेगी।

3.1–संबंधित अतिथि प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को आवश्यकतानुसार निर्धारित समयावधि के लिए ही रखा जायेगा। अतिथि प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का इम्प्लीमेंटेशन कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।

3.2–प्रवक्ताओं/सहायक अध्यापकों विषयवार पैनल हेतु साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जायेगा। अतिथि प्रवक्ताओं/सहायक अध्यापको के लिए निम्नानुसार चयन प्रक्रिया अपनाई जायेगी :–

अ– राज्य स्तर पर 02 महत्वपूर्ण बहुप्रचारित समाचार पत्रों में इसके लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा।

ब– प्रत्येक विद्यालय हेतु अतिथि प्रवक्ताओं/सहायक अध्यापकों के चयन में आवेदक द्वारा जनपद में स्थित विद्यालयो को वरीयता क्रम से अपना विकल्प देना होगा, जिन विद्यालयों मे वे कार्य करने के इच्छुक हों।

स– अतिथि प्रवक्ता/सहायक अध्यापक हेतु पैनल में चयन हेतु प्रत्येक जनपद में अलग–अलग साक्षात्कार हेतु सम्मिलित होना होगा।

द– अतिथि प्रवक्ताओं/सहायक अध्यापकों के साक्षात्कार के माध्यम से चयन हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जायेगी :–

1– संबंधित मण्डल के उप निदेशक, समाज कल्याण	अध्यक्ष
2– जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य सचिव
3– प्रधानाचार्य, संबंधित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय (पूर्ववर्ती राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)	सदस्य
4– संबंधित विषय के विषय विशेषज्ञ	सदस्य

(प्रधानाचार्य भी विषय विशेषज्ञ के लिए नामित किये जा सकते है।)

3.3–अतिथि प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के पदों हेतु प्राप्त आवेदन पत्र जिसमें अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता स्नात्कोत्तर/स्नातक/इण्टर मीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों का भी उल्लेख होगा, अतिथि/अंशकालिक शिक्षकों के चयन हेतु 70 प्रतिशत अंक शैक्षणिक, 10 प्रतिशत अनुभव, 20 प्रतिशत साक्षात्कार हेतु अंक निर्धारित किये जायेंगे। प्रवक्ता तथा सहायक अध्यापक एल0टी0ग्रेड पद हेतु साक्षात्कार के आधार पर अंक दिये जाने का विवरण निम्नवत् होगा:–

क्र0 सं0	पद/विषय	कक्षा– 12	स्नातक	स्नातकोत्तर	बी0एड0/ डिप्लोमा	अनुभव	योग	साक्षात्कार	योग
1	प्रवक्ता (पी0जी0टी0)	10%	20%	30%	10%	10	80	20	100
2	सहायक अध्यापक एल0टी0ग्रेड	20%	30%	10%	10%	10	80	20	100

3.4–उपर्युक्तानुसार अधिकतम अंक 80 अंक स्नात्कोत्तर/स्नातक/इण्टर मीडिएट तथा बी0एड0 व अनुभव के आधार पर किसी अभ्यर्थी को प्राप्त हो सकेंगे। आवासीय विद्यालय में अनुभव रखने वाले को 02 अंक तथा अनावासीय अभ्यर्थियों को 01 अंक

प्राप्ति वर्ष के आधार पर दिया जायेगा। पद/विषय वार अभ्यार्थियों के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची बनायी जायेगी। समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। अनुभव हेतु अधिकतम 10 अंक अनुमन्य होंगे।

3.5–इसी मेरिट सूची से विषयवार पदों के सापेक्ष 03 गुने तक की संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

4–<u>अन्य आवश्यक निर्देश</u>– अतिथि शिक्षक को निर्गत कार्यादेश में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित कर दिया जाय कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर निर्धारित प्रति कालखण्ड मानदेय की धनराशि के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा की मांग नहीं करेंगे तथा इनकी सेवायें कभी भी समाप्त की जा सकेंगी, जिसके लिए उन्हें किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगें।

4.1–यदि अतिथि कार्मिक की सेवायें अनुपयुक्त पायी जाती है तो उन्हें 15 दिन पूर्व सूचित करते हुए इस कार्य से हटाया जा सकेगा।

4.2–बालिका विद्यालयों में केवल महिला शिक्षकों का इम्पैनलमेंट किया जायेगा।

4.3–अतिथि प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के अध्यापन कार्य के घंटे नियमित प्रवक्ताओं/सहायक अध्यापकों के लिए निर्धारित पीरियड के अनुसार होगा।

4.4–अतिथि प्रवक्ता/सहायक अध्यापक नियमित प्रवक्ताओं/सहायक अध्यापकों द्वारा किये जा रहे समस्त शैक्षणिक तथा शिक्षणेत्तर कार्यकलापों में पूर्ण सहभागिता भी करेंगें यथा–कक्षा संबंधी कार्य, कॉपी जांच, इन्वीजिलेटर ड्यूटी, मूल्यांकन कार्य, ट्रेनिंग कार्य, खेल–कूद संबंधी कार्य, छात्रों के व्यक्तित्व विकास हेतु कार्य तथा प्रधानाचार्य द्वारा दिये गये कार्य।

4.5–विद्यालय में आवासीय सुविधा उपलब्ध होने पर अतिथि प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

4.6–इनपैनलमेंट केवल शैक्षिक सत्र– 2025–26 हेतु मान्य होगा।

5–मानदेय –अतिथि प्रवक्ता हेतु रूपये 320/– प्रत्येक पीरियड तथा अतिथि अध्यापक हेतु रूपये 300/– प्रत्येक पीरियड का भुगतान अनुमन्य होगा। अतिथि प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को 01 दिवस में अधिकतम 05 पीरियड ही दिया जा सकता है। अधिकतम मानदेय निम्नानुसार होगा :–

1–प्रवक्ता	रूपये 35,000/–
2–सहायक अध्यापक	रूपये 30,000/–

Telegram–
Shixadixa